I

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 372354 / पटना, दिनांक 30/05/2018

ग्रा0वि0-6/स्था0 जि0ग्रा0वि0अभि0प्रशासन/स्था0-11/2012

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अनुबंध पर नियोजित कर्मियों के मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संशोधन का मामला ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष विचाराधीन था । सम्यक रूपेण विचारोपरान्त अभिकरणों के अनुबंध कर्मियों के मानदेय एवं सुविधाओं का पुनरीक्षण निम्नवत किया जाता है :-

क्र. सं.	पदनाम	वर्तमान मानदेय	पुनरीक्षित मूल मानदेय	आवास भत्ता 16%, 8% एवं 6%	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल मानदेय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लिपिक-सह-टंकक सहायक लेखापाल लेखालिपिक आशुलिपिक	15000	19500	3120	1500	1000	25120	पटना शहर के लिए
				1560	600	1000	22660	Z श्रेणी के शहरों के लिए
				1170	600	1000	22270	अन्य शहरों के लिए
2	तकनीकि सहायक सांख्यिकी अन्वेषक	19000	24700	3952	1500	1000	31152	पटना शहर के लिए
				1976	600	1000	28276	Z श्रेणी के शहरों के लिए
				1482	600	1000	27732	अन्य शहरों के लिए
3	परियोजना अर्थशास्त्री सहायक परियोजना पदा0 लेखा पदाधिकारी सहायक अभियंता	22500	29300	4688	3000	1000	37938	पटना शहर के लिए
				2344	1000	1000	33594	Z श्रेणी के शहरों के लिए
				1758	1000	1000	33008	अन्य शहरों के लिए
4	वरीय लेखा पदाधिकारी	24500	31900	5104	3000	1000	40954	पटना शहर के लिए
				2552	1000	1000	36402	Z श्रेणी के शहरों के लिए
				1914	1000	1000	35764	अन्य शहरों के लिए
5	कार्यपालक अभियंता	37500	48800	7808	4000	1000	60558	पटना शहर के लिए
				3904	1500	1000	55154	Z श्रेणी के शहरों के लिए
				2928	1500	1000	54178	अन्य शहरों के लिए

2. अभिकरण कर्मियों के मानदेय में उक्त वृद्धि दिनांक-01.08.2017 से प्रभावी होगी । परन्तु मानदेय से संबद्ध भत्तों में वृद्धि दिनांक-11.10.2017 से अनुमान्य होगी ।
3. अभिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा अनुभव को देखते हुए Weightage दिया जायेगा, इसके अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन लगातार तीन वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए 5% (प्रतिशत), छः

वर्ष की सेवा के लिए 10% एवं 9 वर्ष की सेवा के लिए 15% अतिरिक्त राशि पुनरीक्षित मानदेय में जोड़कर तदनुरूप भत्तों के साथ भुगतान किया जायेगा यह Weightage दिनांक-01.08.2017 के पूर्व की सेवा के लिए ही देय होगा । दिनांक-01.08.2017 के बाद की सेवा के लिए कोई Weightage देय नहीं होगा ।

4. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मियों को भविष्य में उनके पूर्ण संतोषप्रद एवं लगातार सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि दी जायेगी जो रू0 10 (दस) के गुणक में होगी एवं 1ली अगस्त, की तिथि को वर्ष 2018 एवं उसके बाद के वर्षो में देय होगी ।
5. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएँ इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से देय होंगी ।

A. अभिकरणों के अनुबंध कर्मियों को प्रत्येक वर्ष 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा ।

B. अभिकरण कर्मियों को प्रत्येक आधे माह के कर्तव्य अवधि के लिए 1 दिन की उपार्जित छुट्टी पूर्ण मानदेय पर प्रदान की जायेगी । इसके उपार्जन एवं संचयन की अधिकतम सीमा 96 दिन होगी । कार्यालय द्वारा इस उपार्जित छुट्टी का विधिवत लेखा संधारण किया जायेगा तथा कर्मचारी द्वारा अवकाश का उपभोग नहीं करने पर 96 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश उनके खाते में नहीं जोड़ा जायेगा ।

C. अभिकरणों के महिला अनुबंध कर्मियों को 2 (दो) संतान की सीमा तक प्रत्येक बार अधिकतम 180 दिन मानदेय सहित प्रसव अवकाश दिया जायेगा, जिसका प्रसव/ गर्भपात/ गर्भस्राव की स्थिति में उपयोग किया जा सकेगा । गर्भपात, गर्भस्राव की स्थिति में इसकी अधिकतम सीमा छः सप्ताह होगी जो सरकारी अस्पताल / मान्यता प्राप्त अस्पताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत की जायेगी । इसी प्रकार पुरूष कर्मियों को दो संतान की सीमा के अधीन प्रत्येक वार 15 दिनों का पितृत्व अवकाश पूर्ण मानदेय पर देय होगा । उक्त् अवकाशों की स्वीकृति हेतु चिकित्सक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा ।

D. वर्तमान प्रावधानों के तहत अनुबंध कर्मियों की संतोषप्रद सेवा के आधार पर प्रत्येक वर्ष उनकी अनुबंध अवधि का विस्तार किया जाता है । भविष्य में अनुबंध कर्मी के विरूद्ध कोई प्रतिकूल मामला नहीं होने एवं संतोषप्रद सेवा की स्थिति में प्रत्येक 2 वर्षो पर अनुबंध का नवीकरण किया जायेगा । प्रत्येक अभिकरण द्वारा इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा एवं तदनुसार अनुबंध विस्तार किया जायगा ।

E. अभिकरणों के अनुबंध कर्मियों के द्वारा अन्य स्थानों की यात्रा के लिए अनुमान्यता एवं दैनिक भत्ता की दरें आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नवत पुनरीक्षित की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	रेल यात्रा अनुमान्यता	सड़क यात्रा अनुमान्यता	दैनिक भत्ता					
				नगर श्रेणी X		नगर श्रेणी Y		नगर श्रेणी Z	
				होटल रहित	होटल सहित	होटल रहित	होटल सहित	होटल रहित	होटल सहित
A	कार्यपालक अभियंता	AC-2 या निम्न श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा या न्यून श्रेणी (टिकट प्रस्तुत करने पर)	AC बस / टैक्सी / कार रसीद प्रस्तुत करने पर वास्तविक भाड़ा न्यून श्रेणी (टिकट रसीद प्रस्तुत करने पर)	1000	4500	750	3500	500	2500

B	1. सहायक अभियंता 2. वरीय लेखा पदा0 3.सहायक परि0 पदा0 4. परि0 अर्थशास्त्री 5. कार्यालय अधीक्षक 6. लेखा पदाधिकारी	AC-3 या निम्न श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा (टिकट प्रस्तुत करने पर)	तदैव	800	2800	600	1500	400	1000
C	अन्य सभी कार्मिक	AC-3 श्रेणी या निम्न श्रेणी का वास्तविक भाड़ा(टिकट प्रस्तुत करने पर)	सामान्य बस/ ऑटो का वास्तविक भाड़ा (टिकट/ रसीद प्रस्तुत करने पर)	500	1000	375	500	275	300

6. इस पर होने वाला व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के वेतन मद से वहन किया जायेगा।
7. सभी संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के द्वारा उपर्युक्त पुनरीक्षित मानदेय एवं सुविधाओं को प्रबंध पर्षद की सहमति से ही लागू किया जायेगा ।
8. इसमें मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त है ।
9. अभिकरणों के अनुबंध कर्मियों के मानदेय एवं सुविधाओं से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश/ परिपत्र तदनुसार संशोधित समझे जाएँगे ।

30/5

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 372354 / पटना दिनांक 30/05/2018

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 372354 / पटना दिनांक 30/05/2018

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विभाग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/5

सरकार के संयुक्त सचिव